फा.सं. ए.12028/01/2023-डीआरएस
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषध विनियमन अनुभाग)
****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जून, 2023

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन(सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान लिपिक, वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) और कनिष्ठ सहायक (प्रशासन) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों के मसौदों को तैयार कर लिया गया है, जिनकी प्रति संलग्न हैं।

2. इन्हें अंतिम रूप से तैयार करने से पूर्व, इस मामले में सभी हितधारको से टिप्पणी, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के अन्दर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से विर्निर्दिष्ट समय के अन्दर प्राप्त होनेवाली टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियम/अपेक्षा के अनुसार भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा।

3. अपने टिप्पणियाँ कृपया अधोहस्ताक्षरी को, कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली- 110011 के पते अथवा bikash.mahato@nic.in पर भेजें।

संलग्नक: यथाउल्लिखित

किरण कुमार कर्लापु

(डॉ. किरण कुमार कर्लापु)
उप सचिव भारत सरकार
दूरभाष:- 011-23062928

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान लिपिक	*04 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण:1 केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाएगी, वहाँ आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।) टिप्पण 2: टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख उपखंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।	अनिवार्य:- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (समूह 'ग' से 'ख' में परिवर्तन)	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति हेतु, मूल संवर्ग या विभाग के स्तर-4 में ऐसे वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) स्तर-4, वेतनमान 5200-20200 रुपये जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा सफलतापूर्वक पूरी की हैं। प्रतिनियुक्ति- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने; i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किय हुआ हैं; या ii) वेतन स्तर-5 या समकक्ष में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। iii) वेतन स्तर-4 या समकक्ष में दस वर्ष की नियमित सेवा की हैं। स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी -: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशा. (औषध) -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[ए.12018/01/2023-डीआरएस]

(विकाश आर. महतो)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ सहायक(प्रशासन)	14* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित/ सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी(कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती नहीं किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ सहायक (प्रशासन) जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन स्तर -2(19900-63200 रुपये) में 8 वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -- अध्यक्ष; 2. औषध नियंत्रक(भारत) - अध्यक्ष; 3. उप निदेशक प्रशासन(औषध)- सदस्य।	लागू नहीं होता।

	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी; i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या ii) जिन्होंने वेतन स्तर-2 या समतुल्य में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। शैक्षिक अर्हता: स्तम्भ 7 में यथाविहित। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडरबाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है-, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।		

[ए.12018/01/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर. महतो)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ सहायक (प्रशासन)	14* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित/ सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपए)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। (कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती नहीं किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12 वीं या समकक्ष अर्हता प्राप्त।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए परिवीक्षा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
एसएससी द्वारा सीधी भर्ती हेतु 85%। (जहाँ नियुक्ति एसएससी द्वारा ना की गई हो वहाँ से "एसएससी द्वारा" शब्द को हटया जा सकता है।) (2) ग्रेड पे 1800/- में समूह 'ग' से 10% रिक्तियों को भरा जाएगा और जिन्होंने 12 वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण की हो या जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष की सेवा पूरी की हो। परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी (50 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु) टिप्पणी : खंड (2) के अधीन उपरोक्त परीक्षा में रिक्तियों से अधिक परीक्षार्थी होने की दशा में उनको उत्तीर्ण माना जाएगा ।	जैसा कि स्तम्भ 10 में कहा गया है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक, (प्रशासन) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य। 3. सहायक औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक, (प्रशासन) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

ऐसे कर्मचारियों की अधिक संख्या पर विचार किया जाएगा ताकि बाद में होने वाली परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले अर्हता प्राप्त कर्मचारियों पर विचार किया जा सके । (3) समूह 'ग' कर्मचारियों में से 5% रिक्तियों को वरिष्ठता सह स्वस्थता के आधार पर भरा जाएगा जिन्होंने 1800 रुपये के ग्रेड पे के साथ 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो।		2. उप निदेशक (प्रशासन) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य। 3. सहायक औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य।	

[ए.12018/01/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर. महतो)
अवर सचिव, भारत सरकार